



न्यायालय माननीय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व

मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

III निगरानी/गुना/भू.रा/2018/0090

प्रकरण क्रमांक 12018 निगरानी

12

श्री. विजय बहादुर सिंह
जिसका आज दि. 3-1-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 09-1-18 निम्न।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 3-1-18

श्रीमती सर्वेष्ट पत्नी श्री विजय बहादुर सिंह
राजपूत निवासी- नई मण्डी से ऊपर उमरी
रोड, सेंट स्कूल के पास नानाखेडी गुना,
म.प्र.

..... आवेदिका/ निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामरतन पुत्र स्व. द्वारकाप्रसाद जाटव
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. द्वारकाप्रसाद जाटव
3. श्रीमती भागवती बाई पत्नी स्व. द्वारका प्रसाद जाटव
समस्त निवासीगण- पुरानी बस्ती
दशहरा रोड, वार्ड नं. 15 मेहगांव
तहसील मेहगांव जिला भिण्ड, म.प्र.
4. श्रीमती गुडडीबाई पत्नी मनीराम जाटव
पुत्री स्व. द्वारका प्रसाद जाटव, निवासी-
ग्राम आलोरीपुरा पो. थाना एनोरी
तहसील गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.



..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 वर्तमान
निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष अनुविभागयी अधिकारी परगना
गुना, म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 0013/ अपील/2017-2018 अपील
वउनमान (रामरतन व अन्य बनाम श्रीमती सर्वेष्ट) में पारित आदेश
दिनांक 07.11.2017 से व्यथित होकर निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

III/R/अना/Rev/2018/0090

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री गिरीश कुमार उपाक्षित । उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा गया । विचारोपरांत प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>